



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 3-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 9, 2018 (PAUSA 19, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 जनवरी, 2018

संख्या 02/एस०टी०-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 129/एसटी-2, दिनांक 22 नवंबर, 2017 के उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, के अधिक्रमण में और परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में समग्र आवर्त 1.5 करोड़ रूपए तक है, को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग रूप में अधिसूचित करते हैं, जो माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय, जो नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में यथा विनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान तक की गई है, के ब्यौरे को **प्ररूप जीएसटीआर-1** में उक्त सारणी के खाना (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	10 जनवरी, 2018
2.	अक्टूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 मास के लिए, ब्यौरे या विवरणी, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को तत्पश्चात राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 9th January, 2018

No. 02/ST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), and in supersession of Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 129/ST-2, dated the 22nd November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, notifies the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who may follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Serial No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	10th January, 2018
2	October - December, 2017	15th February, 2018
3	January - March, 2018	30th April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

SANJEEV KAUSHAL,
 Additional Chief Secretary to Government Haryana,
 Excise and Taxation Department.